संख्या- 36 /2017/1637/35-3-2017-1(28)/2016

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 13 दिसम्बर, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत हेतु पर्यटन विकास की स्वीकृत परियोजना के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 279/ बी.ए.डी.पी./2017-18, दिनांक 18 अगस्त 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-119/2016/2348/35-3-2016-1(28)/2016,दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 द्वारा बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-पीलीभीत के विकास खण्ड-पूरनपुर हेतु सेल्हा सप्त सरोवर पर वाटररिचार्जबाडी के निर्माण हेतु रू0 18.46 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतप्रदान करते हुये धनराशि अवमुक्त की गयी थी। अपरिहार्य कारणोंवश् पर्यटन विकास की उक्त स्वीकृत परियोजना को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

2- शासनादेश संख्या-119/2016/2348/35-3-2016-1(28)/2016 दिनांक 08 दिसम्बर,2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

भवदीय,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 36/2017/1637(1)/ 35-3-2017-1(28)/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2 प्रमुख सचिव,पर्यटन/ वन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3 मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
4 महालेखाकार,प्रथम (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0।
5 महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद ।
6 निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8 कोषाधिकारी, पीलीभीत ।
9 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/ वन अनुभाग-1।
10 उप निदेशक,(अर्थ एवं संख्या) बरेली मण्डल।
11 अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीलीभीत ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।